



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 635 राँची, सोमवार,

7 अक्टूबर, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2024

संख्या-12/पी-1005/2024-5572--संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता बैकलॉग परीक्षा (विज्ञापन सं० 27/2017) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को झारखण्ड पुलिस सेवा में मूल कोटि के वेतनमान (रू० 9300-34,800 /- ग्रेड पे 5400 रू०, सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-9) में इन्ट्री वेतन पर एवं सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता
01	27170175	AMIT KUMAR	23.01.1995	AT GIRIDIH, P.O- SIMARIYA, P.S DHANWAR.. DISTRICT-GIRIDIH STATE-JHARKHAND PIN CODE-825412
02	27171433	MRITYUNJAY GOP	18.08.1994	AT DOYENGAR BLOCK- RANIA, P.O- KHATNGA, P.S-RANIA.. DISTRICT - KHUNTI, STATE-JHARKHAND PIN CODE-835227
03	27172030	RAM LAKHAN BARN	04.07.1985	S/O KISHORI MODI, AT P.O+ P.S- MARKACHO MARKACHO BAZAR, DISTRICT-KODERMA, STATE-JHARKHAND PIN CODE-825318

04	27170633	BIRJU KUMAR	07.01.1990	VILL-BARKAKALAN, P.O-RATANPUR, P.S-ICHAK, DISTRICT-HAZARIBAGH, STATE-JHARKHAND PIN CODE-825402
----	----------	-------------	------------	---

(क) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि में संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

(ख) इस अधिसूचना की क्रम संख्या वरीयता सूची / मेधा क्रमांक नहीं है।

(ग) अभ्यर्थी को झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में दिनांक-07.10.2024 के पूर्वां में अनिवार्य रूप से योगदान देना है। उपर्युक्त निर्धारित योगदान तिथि तक योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(घ) समर्पित प्रमाण पत्रों में भविष्य में जाँचोपरान्त किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जा सकती है।

(ङ.) वैसे अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्रों में आंशिक विसंगतियाँ हैं, की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि विसंगतियाँ का संतोषजनक निराकरण एक माह में नहीं होने पर उनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

(च) योगदान देते समय कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 1919 दिनांक 28.01.76 द्वारा दहेज न लेने से संबंधित घोषणा पत्र एवं अधिसूचना संख्या- 5437 दिनांक 09.09.2010 एवं 9519 दिनांक 22.09.2014 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(छ) योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्यागपत्र की प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा।

(ज) योगदान देते समय अभ्यर्थी का असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(झ) नियुक्ति विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5817 दिनांक 03.05.1963 के आलोक में चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर एक महीने की सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राधेश्याम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
